न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 03/2021(2021/00031)

अनवान : –

राजेन्द्र प्रसाद उर्फ इन्द्र पुत्र नंदराम जाति मेघवाल निवासी करणपुरा तहसील भादरा।

प्रार्थी।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री किशनलाल यादव **प्रार्थी**
राज पैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक : 03/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 केआरपी के वर्तमान खाता सं0 117/108 के मुरब्बा नं0 55 के किला नं0 3, 7, 8, 13, 14, 17 ता 25 तथा मु0 नं0 58 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 34 किला की 8.6020 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता में सह खातेदारों के साथ प्रार्थी के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम राजेन्द्र प्रसाद की बजाऐ इन्द्र दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड व पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र प्रसाद दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में राजेन्द्र प्रसाद की बजाऐ इन्द्र दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम इन्द्र के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम राजेन्द्र प्रसाद दर्ज करवाना जाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र प्रसाद के स्थान पर इन्द्र दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम इन्द्र दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:13:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

ना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मौजा भिरानी के वर्तमान खाता सं0 117/108 में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र प्रसाद दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा तहसीलदार भादरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने चक 2 केआरपी के वर्तमान खाता सं 117/108 में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ''**प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजेन्द्र प्रसाद के स्थान पर इन्द्र दर्ज हो गया।**'' जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपनी चित्रप्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड व अन्य दस्तावेज पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम राजेन्द्र प्रसाद अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त चक 2 केआरपी के वर्तमान खाता सं 117/108 में प्रार्थी का नाम ''**इन्द्र के स्थान पर इन्द्र उर्फ राजेन्द्र प्रसाद**'' दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए इन्द्र ही प्रभावी मानी जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:13:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(जयसिंह) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़